

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:-मुसप्र/2013-14/1648

दिनांक:-21/11/14

आदेश

उप आवासन आयुक्त, वृत्त-कोटा के अधीन आवासीय योजना, भवानी मण्डी (झालावाड़) में निरस्त हुए सरप्लस 15 आवासों की खुली बिक्री के माध्यम से निस्तारण किये जाने की अनुमति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

निस्तारित किये जाने वाले घरोंदा आवासों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	मकान संख्या	क्रम संख्या	मकान संख्या
1.	5	9.	47
2.	10	10.	49
3.	12	11.	50
4.	25	12.	54
5.	27	13.	57
6.	40	14.	69
7.	41	15.	73
8.	43		
		कुल आवास - 15	

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ललित कुमार)
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता(मु0), प्रथम/द्वितीय/निदेशक(विधि)/मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (मु0)/प्रथम/द्वितीय/अति0 मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त वृत्त.....राजस्थान आवासन मण्डल,।
6. आवासीय अभियन्ता खण्ड..... राजस्थान आवासन मण्डल.....।
7. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
8. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी, राज0 आ0 मण्डल, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक